

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1
संख्या- — /XXXVI-A-1/2020-184/2001 T.C. -II
देहरादून: दिनांक: ७३ अप्रैल, 2020

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, वर्ष 1987) की धारा-6 के अधीन मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष पद पर मा0 न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमथ, न्यायाधीश, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का तत्काल प्रभाव से नाम निर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह खिमाल)
सचिव

संख्या- — (1)/XXXVI-A-1/2020-184/2001 T.C. -II तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सयन सिंह)
अपर सचिव

संख्या- 123 (2)/XXXVI-A-1/2020-184/2001 T.C. -II तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
6. समस्त जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
10. कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सयन सिंह)
अपर सचिव